

## List of applicable Taxes/Levies

### 1. Department of Registration and Stamps

URL- [https://www.mpigr.gov.in/assets/documents/Stamp\\_Duty\\_and\\_Registration\\_Fee\\_Chart.pdf](https://www.mpigr.gov.in/assets/documents/Stamp_Duty_and_Registration_Fee_Chart.pdf)

### **Stamp Duty and Registration Fee Chart**

SR No	Deed Type	Instrument Name	Registration Optional / Compulsory	Principal Stamp Duty (% or fix duty)	Municipal Duty	Janpad Duty	Upkar	Minimum Stamp Duty	Maximun Stamp Duty	Registration Fee (% or fix duty)	Minimum Registration Fee	Maximum Registration Fee
1	Acknowledgement of debt	Acknowledgement of a debt, written or signed by or on behalf of debtor	Optional	10 Rs	-	-	-	-	-	500 Rs	-	-
2	Acknowledgement of receipt of payment	Acknowledgement of receipt of payment of consideration on account of another deed, which has been previously registered	Optional	5000 Rs	-	-	-	-	-	500 Rs	-	-
3	Administration Bond	Administration Bond	Optional	0.5 %	-	-	-	500 Rs	-	-	-	-
4	Adoption Deed	Adoption	Optional	2000 Rs	-	-	-	-	-	500 Rs	-	-
5	Affidavit	Affidavit	Optional	50 Rs	-	-	-	-	-	500 Rs	-	-
6	Agreement	Agreement without possession	Compulsory	1000 Rs	-	-	-	-	-	0.8%	-	-
7	Agreement	Agreement, if relating to advertisement on Radio, Television, Cinema, Cable network, or any media other than newspaper	Optional	0.25 %	-	-	-	500 Rs	25000 Rs	500 Rs	-	-
8	Agreement	Builders Agreement / Developer's Agreement - with rights to held or sell immovable property jointly or severally.	Optional	5 % on share or 2.5 % on MV (Whichever is higher)	-	-	-	-	-	0.8 % on MV	-	-
9	Agreement	Construction Agreement -with no rights of holding or selling immovable property jointly or severally.	Optional	0.25 %	-	-	-	1000 Rs	-	1000 Rs	500 Rs	-
10	Agreement	Franchise Agreement	Optional	10000 Rs	-	-	-	-	-	500 Rs	-	-
11	Agreement	If not otherwise provided for	Optional	500 Rs	-	-	-	-	-	500 Rs	-	-
12	Agreement	If relating to hire-purchase of immovable property.	Compulsory	5%	-	-	-	-	-	0.8%	-	-
13	Agreement	If relating to sale of immovable property (i) When possession of the property is delivered or is agreed to be delivered without executing the conveyance	Compulsory	5%	-	-	-	-	-	0.8%	-	-
14	Agreement	If relating to the purchase or sale of a government security	Optional	1 %	-	-	-	1%	5000 Rs	-	-	-
15	Agreement	If relating to the sale of bill of exchange	Optional	1 %	-	-	-	1%	-	-	-	-

SR No	Deed Type	Instrument Name	Registration Optional / Compulsory	Principal Stamp Duty (% or fix duty)	Municipal Duty	Janpad Duty	Upkar	Minimum Stamp Duty	Maximum Stamp Duty	Registration Fee (% or fix duty)	Minimum Registration Fee	Maximum Registration Fee
16	Agreement	purchase or sale of shares, scrips, bonds, debentures, debentures stocks or any other marketable security	Optional	1 %	-	-	-	1%	-	-	-	-
17	Agreement	Work Contract, not being a Development/Construction Agreement or a Security Bond, containing an agreement to secure the due performance of a contract or due discharge of a liability – (i) If contract value is upto Rupees 50 lacs – Rupees 500. (ii) If contract value exceeds Rupees 50 lacs – 0.1 percent of contract value subject to a maximum of rupees 5 lacs	Optional	Rupees 500 till 50 lacs rs of Contract value or 0.1 percent of contract value subject to a maximum of rupees 5 lacs	-	-	-	500 Rs	500000 Rs	0.8%	-	-
18	Agreement relating to Deposit of Title Deed/pawn/pledge or hypothecation	Equitable Mortgage / Deposit of Title Deed for Large Scale Industries/ other purposes	Optional	0.25 %	-	0.25% (Max 500000)	-	-	500000 Rs	1000 Rs	-	1000 Rs
19	Agreement relating to Deposit of Title Deed/pawn/pledge or hypothecation	Equitable Mortgage / Deposit of Title Deed for SSI/Housing Purposes upto 10 crores	Optional	0.125 %	-	0.25% (Max 500000)	-	-	500000 Rs	1000 Rs	-	1000 Rs
20	Agreement relating to Deposit of Title Deed/pawn/pledge or hypothecation	Pawn/Pledge/ Hypothecation	Optional	0.25 %	-	0.25 %	-	-	10 lakh	500 Rs	-	500 Rs
21	Agreement/Memorandum of an agreement	If relating to secure repayment of a loan or debt.	Optional	0.25 %	-	0.25 %	-	-	10 lakh	1%	-	-
22	Amendment Deed/Correction Deed	Document amending or correcting previously registered deed, but not making any material alterations	Compulsory	1000 Rs	-	-	-	-	-	500 Rs	-	-
23	Appointment in execution of a power	Appointment in execution of a power, whether of trustees or of property, movable or immovable, where made by any writing not being a will	Optional	500 Rs	-	-	-	-	-	500 Rs	-	-
24	Appraisalment or valuation	Appraisalment or valuation, made otherwise than under an order of the Court in the course of a suit.	Optional	500 Rs	-	-	-	-	-	500 Rs	-	-

## 2. Urban Development and Housing Department

URL- [https://www.mpenagarpalika.gov.in:8001/sap/bc/webdynpro/sap/zwt\\_water\\_tariff#](https://www.mpenagarpalika.gov.in:8001/sap/bc/webdynpro/sap/zwt_water_tariff#)

**(Details regarding water tariff )-**

### Water Tariff

Select ULB From Here

City Name:

- Ujjain Nagar Nigam
- Umaria Nagar Palika
- Unhel Nagar Parishad
- Vidisha Nagar Palika
- Vijaypur Nagar Parishad
- Vijayraghavgarh Nagar Par
- Waraseoni Nagar Palika
- Warigarh Nagar Parishad
- karrapur Nagar Parishad

## Water Tariff

### Select ULB From Here

City Name:

### Water Tariff Details

Water Connection Type	Connection Size	Rate / Tariff
Commercial	1/2"	230.00 per month or per unit
Residential	1/2"	110.00 per month or per unit
Residential	1/2"	100.00 per month or per unit
Industrial	3/4"	300.00 per month or per unit

**Details regarding Property Tax-**

ULB	Property tax	From	To	Percentage
0101	Property tax	20,001	30,000	7.00
0101	Property tax	30,001	48,000	8.00
0101	Property tax	48,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0101	Property tax	6,001	20,000	6.00
0101	Property tax	1	6,000	0.00
0102	Property tax	1,00,000	99,99,99,99,99,999	7.00
0102	Property tax	4,801	1,00,000	6.00
0102	Property tax	1	4,800	0.00
0103	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0103	Property tax	1	4,800	0.00
0104	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0104	Property tax	1	4,800	0.00
0105	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0105	Property tax	1	4,800	0.00
0106	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0106	Property tax	1	4,800	0.00
0107	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0107	Property tax	1	4,800	0.00
0108	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0108	Property tax	1	4,800	0.00
0109	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0109	Property tax	1	4,800	0.00
0110	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	4.00
0110	Property tax	1	4,800	0.00
0111	Property tax	4,801	15,000	6.00
0111	Property tax	15,001	25,000	8.00
0111	Property tax	25,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0111	Property tax	1	4,800	0.00
0112	Property tax	5,401	99,99,99,99,99,999	6.00
0112	Property tax	1	5,400	0.00
0113	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0113	Property tax	1	4,800	0.00
0114	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0114	Property tax	1	4,800	0.00
0115	Property tax	6,001	12,000	6.00
0115	Property tax	12,001	22,000	8.00
0115	Property tax	22,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0115	Property tax	1	6,000	0.00
0116	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0116	Property tax	1	4,800	0.00
0117	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	10.00
0117	Property tax	1	4,800	0.00
0118	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0118	Property tax	1	4,800	0.00
0119	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	10.00
0119	Property tax	1	4,800	0.00
0120	Property tax	30,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0120	Property tax	20,001	30,000	7.00
0120	Property tax	4,801	20,000	6.00
0120	Property tax	1	4,800	0.00
0121	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0121	Property tax	1	4,800	0.00
0122	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0122	Property tax	1	4,800	0.00
0123	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00

0123	Property tax	1	4,800	0.00
0124	Property tax	4,801	20,000	6.00
0124	Property tax	20,001	30,000	7.00
0124	Property tax	30,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0124	Property tax	1	4,800	0.00
0125	Property tax	24,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0125	Property tax	4,801	24,000	6.00
0125	Property tax	1	4,800	0.00
0126	Property tax	24,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0126	Property tax	4,801	24,000	6.00
0126	Property tax	1	4,800	0.00
0127	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0127	Property tax	1	4,800	0.00
0128	Property tax	24,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0128	Property tax	4,801	24,000	6.00
0128	Property tax	1	4,800	0.00
0129	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0129	Property tax	1	4,800	0.00
0130	Property tax	6,001	12,000	6.00
0130	Property tax	12,001	20,000	6.00
0130	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	6.00
0130	Property tax	1	6,000	0.00
0131	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0131	Property tax	1	4,800	0.00
0132	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0132	Property tax	12,001	20,000	9.00
0132	Property tax	4,801	12,000	8.00
0132	Property tax	1	4,800	0.00
0133	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0133	Property tax	1	4,800	0.00
0134	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0134	Property tax	1	4,800	0.00
0135	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0135	Property tax	1	4,800	0.00
0136	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0136	Property tax	1	4,800	0.00
0137	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0137	Property tax	1	4,800	0.00
0138	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0138	Property tax	1	4,800	0.00
0139	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0139	Property tax	1	4,800	0.00
0140	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0140	Property tax	1	4,800	0.00
0141	Property tax	6,001	15,000	6.00
0141	Property tax	15,001	20,000	8.00
0141	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0141	Property tax	1	6,000	0.00
0142	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0142	Property tax	1	4,800	0.00
0143	Property tax	4,801	12,000	6.00
0143	Property tax	12,001	20,000	7.00
0143	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0143	Property tax	1	4,800	0.00
0144	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0144	Property tax	1	4,800	0.00

0145	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0145	Property tax	12,001	20,000	7.00
0145	Property tax	4,801	12,000	6.00
0145	Property tax	1	4,800	0.00
0146	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0146	Property tax	1	4,800	0.00
0147	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0147	Property tax	1	4,800	0.00
0148	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0148	Property tax	1	4,800	0.00
0149	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0149	Property tax	1	4,800	0.00
0150	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0150	Property tax	1	4,800	0.00
0151	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0151	Property tax	1	4,800	0.00
0152	Property tax	60,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0152	Property tax	36,001	60,000	8.00
0152	Property tax	6,001	36,000	6.00
0152	Property tax	1	6,000	0.00
0153	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0153	Property tax	1	4,800	0.00
0154	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0154	Property tax	1	4,800	0.00
0155	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0155	Property tax	1	4,800	0.00
0157	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.50
0157	Property tax	1	4,800	0.00
0158	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0158	Property tax	1	4,800	0.00
0159	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0159	Property tax	1	4,800	0.00
0160	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0160	Property tax	1	4,800	0.00
0161	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	10.00
0161	Property tax	1	4,800	0.00
0162	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	10.00
0162	Property tax	1	4,800	0.00
0163	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0163	Property tax	1	4,800	0.00
0164	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0164	Property tax	1	4,800	0.00
0165	Property tax	1	4,800	0.00
0165	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0166	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0166	Property tax	1	4,800	0.00
0167	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0167	Property tax	1	4,800	0.00
0168	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0168	Property tax	1	4,800	0.00
0169	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	10.00
0169	Property tax	1	4,800	0.00
0170	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0170	Property tax	1	4,800	0.00
0171	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0171	Property tax	1	4,800	0.00

0172	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	10.00
0172	Property tax	1	4,800	0.00
0173	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0173	Property tax	1	4,800	0.00
0174	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0174	Property tax	1	4,800	0.00
0175	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0175	Property tax	1	4,800	0.00
0176	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0176	Property tax	1	4,800	0.00
0177	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0177	Property tax	1	4,800	0.00
0178	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0178	Property tax	1	4,800	0.00
0179	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0179	Property tax	1	4,800	0.00
0180	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0180	Property tax	1	4,800	0.00
0181	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0181	Property tax	1	4,800	0.00
0182	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0182	Property tax	1	4,800	0.00
0183	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0183	Property tax	1	4,800	0.00
0184	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	9.00
0184	Property tax	1	4,800	0.00
0185	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0185	Property tax	1	4,800	0.00
0186	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0186	Property tax	1	4,800	0.00
0187	Property tax	24,001	99,99,99,99,99,999	9.00
0187	Property tax	6,001	24,000	8.00
0187	Property tax	1	6,000	0.00
0188	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0188	Property tax	1	4,800	0.00
0189	Property tax	1	4,800	1.00
0189	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	1.00
0190	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0190	Property tax	1	4,800	0.00
0191	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0191	Property tax	1	4,800	0.00
0192	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0192	Property tax	1	4,800	0.00
0193	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0193	Property tax	1	4,800	0.00
0194	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0194	Property tax	1	4,800	0.00
0195	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0195	Property tax	6,001	20,000	8.00
0195	Property tax	1	6,000	0.00
0196	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0196	Property tax	1	4,800	0.00
0197	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0197	Property tax	1	4,800	0.00
0198	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0198	Property tax	1	6,000	0.00



0199	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0199	Property tax	1	4,800	0.00
0200	Property tax	1	6,000	0.00
0200	Property tax	6,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0201	Property tax	12,001	99,99,99,99,99,999	7.00
0201	Property tax	4,801	12,000	6.00
0201	Property tax	1	4,800	0.00
0202	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0202	Property tax	1	4,800	0.00
0203	Property tax	6,001	99,99,99,99,99,999	7.00
0203	Property tax	1	6,000	0.00
0204	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0204	Property tax	1	4,800	0.00
0205	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0205	Property tax	1	4,800	0.00
0206	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0206	Property tax	1	4,800	0.00
0207	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0207	Property tax	1	4,800	0.00
0208	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0208	Property tax	1	4,800	0.00
0209	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0209	Property tax	1	4,800	0.00
0210	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0210	Property tax	1	4,800	0.00
0211	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0211	Property tax	1	4,800	0.00
0212	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0212	Property tax	1	4,800	0.00
0213	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0213	Property tax	1	4,800	0.00
0214	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0214	Property tax	1	4,800	0.00
0215	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0215	Property tax	1	4,800	0.00
0216	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0216	Property tax	1	4,800	0.00
0217	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0217	Property tax	1	4,800	0.00
0218	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0218	Property tax	1	4,800	0.00
0219	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0219	Property tax	1	4,800	0.00
0220	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0220	Property tax	1	4,800	0.00
0221	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0221	Property tax	1	4,800	0.00
0222	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0222	Property tax	1	4,800	0.00
0223	Property tax	6,001	40,000	6.00
0223	Property tax	40,001	60,000	8.00
0223	Property tax	60,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0223	Property tax	1	6,000	0.00
0224	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0224	Property tax	1	4,800	0.00
0225	Property tax	1,00,001	99,99,99,99,99,999	10.00

0225	Property tax	30,001	50,000	7.00
0225	Property tax	50,001	75,000	8.00
0225	Property tax	75,001	1,00,000	9.00
0225	Property tax	4,801	30,000	6.00
0225	Property tax	1	4,800	0.00
0226	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0226	Property tax	1	4,800	0.00
0227	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0227	Property tax	1	4,800	0.00
0228	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0228	Property tax	1	4,800	0.00
0229	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0229	Property tax	1	4,800	0.00
0230	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0230	Property tax	1	4,800	0.00
0231	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0231	Property tax	1	4,800	0.00
0232	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0232	Property tax	1	4,800	0.00
0233	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0233	Property tax	1	4,800	0.00
0234	Property tax	4,801	20,000	6.00
0234	Property tax	50,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0234	Property tax	20,001	50,000	8.00
0234	Property tax	1	4,800	0.00
0235	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0235	Property tax	1	4,800	0.00
0236	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0236	Property tax	1	4,800	0.00
0237	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0237	Property tax	1	4,800	0.00
0238	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0238	Property tax	1	4,800	0.00
0239	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.50
0239	Property tax	1	4,800	0.00
0240	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0240	Property tax	1	4,800	0.00
0241	Property tax	4,801	15,000	6.00
0241	Property tax	15,001	20,000	8.00
0241	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0241	Property tax	1	4,800	0.00
0242	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0242	Property tax	1	4,800	0.00
0243	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0243	Property tax	1	4,800	0.00
0244	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0244	Property tax	1	4,800	0.00
0245	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0245	Property tax	1	4,800	0.00
0246	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0246	Property tax	1	4,800	0.00
0247	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0247	Property tax	1	4,800	0.00
0248	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0248	Property tax	1	4,800	0.00
0249	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00

0249	Property tax	1	4,800	0.00
0250	Property tax	6,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0250	Property tax	1	6,000	0.00
0251	Property tax	48,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0251	Property tax	36,001	48,000	10.00
0251	Property tax	24,001	36,000	9.00
0251	Property tax	12,001	24,000	8.00
0251	Property tax	4,801	12,000	7.00
0251	Property tax	1	4,800	0.00
0252	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0252	Property tax	1	4,800	0.00
0253	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	10.00
0253	Property tax	1	4,800	0.00
0254	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0254	Property tax	1	4,800	0.00
0255	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0255	Property tax	1	4,800	0.00
0256	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0256	Property tax	1	4,800	0.00
0257	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0257	Property tax	1	4,800	0.00
0258	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0258	Property tax	1	4,800	0.00
0259	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0259	Property tax	1	4,800	0.00
0260	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0260	Property tax	1	4,800	0.00
0261	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0261	Property tax	1	4,800	0.00
0262	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.50
0262	Property tax	1	4,800	0.00
0263	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0263	Property tax	1	4,800	0.00
0264	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0264	Property tax	1	4,800	0.00
0265	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0265	Property tax	1	4,800	0.00
0266	Property tax	4,801	12,000	6.00
0266	Property tax	12,001	99,99,99,99,99,999	7.00
0266	Property tax	1	4,800	0.00
0267	Property tax	12,001	24,000	8.33
0267	Property tax	4,801	12,000	6.00
0267	Property tax	24,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0267	Property tax	1	4,800	0.00
0268	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0268	Property tax	1	4,800	0.00
0270	Property tax	4,800	6,000	7.00
0270	Property tax	6,001	12,000	9.00
0270	Property tax	12,001	99,99,99,99,99,999	11.00
0270	Property tax	1	4,799	0.00
0271	Property tax	50,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0271	Property tax	20,001	50,000	8.00
0271	Property tax	6,001	20,000	6.00
0271	Property tax	1	6,000	0.00
0272	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0272	Property tax	1	4,800	0.00

0273	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	9.00
0273	Property tax	1	4,800	0.00
0273	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0273	Property tax	1	4,800	0.00
0274	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0274	Property tax	1	4,800	0.00
0275	Property tax	4,801	10,000	6.00
0275	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0275	Property tax	10,001	20,000	8.00
0275	Property tax	1	4,800	0.00
0276	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.50
0276	Property tax	1	4,800	0.00
0277	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0277	Property tax	1	4,800	0.00
0278	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0278	Property tax	1	4,800	0.00
0279	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0279	Property tax	1	4,800	0.00
0280	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0280	Property tax	1	4,800	0.00
0281	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0281	Property tax	1	4,800	0.00
0282	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0282	Property tax	1	4,800	0.00
0283	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0283	Property tax	1	4,800	0.00
0284	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0284	Property tax	1	4,800	0.00
0285	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0285	Property tax	1	4,800	0.00
0286	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0286	Property tax	1	4,800	0.00
0287	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	9.00
0287	Property tax	1	4,800	0.00
0288	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0288	Property tax	1	4,800	0.00
0289	Property tax	4,801	10,000	6.00
0289	Property tax	10,001	20,000	8.00
0289	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0289	Property tax	1	4,800	0.00
0290	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0290	Property tax	1	4,800	0.00
0291	Property tax	15,001	25,000	8.00
0291	Property tax	6,001	15,000	6.00
0291	Property tax	25,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0291	Property tax	1	6,000	0.00
0292	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0292	Property tax	1	4,800	0.00
0293	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0293	Property tax	1	4,800	0.00
0294	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0294	Property tax	1	4,800	0.00
0295	Property tax	4,800	99,99,99,99,99,999	6.00
0295	Property tax	1	4,799	0.00
0296	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0296	Property tax	1	4,800	0.00

0297	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0297	Property tax	1	4,800	0.00
0298	Property tax	10,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0298	Property tax	4,801	10,000	6.00
0298	Property tax	1	4,800	0.00
0299	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0299	Property tax	1	4,800	0.00
0300	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0300	Property tax	1	4,800	0.00
0301	Property tax	50,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0301	Property tax	4,801	30,000	6.00
0301	Property tax	30,001	50,000	8.00
0301	Property tax	1	4,800	0.00
0302	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0302	Property tax	1	4,800	0.00
0303	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0303	Property tax	1	4,800	0.00
0304	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0304	Property tax	1	4,800	0.00
0305	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0305	Property tax	1	4,800	0.00
0306	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0306	Property tax	1	4,800	0.00
0307	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0307	Property tax	1	4,800	0.00
0308	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0308	Property tax	1	4,800	0.00
0309	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0309	Property tax	1	4,800	0.00
0310	Property tax	10,001	20,000	9.00
0310	Property tax	4,801	10,000	8.00
0310	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0310	Property tax	1	4,800	0.00
0311	Property tax	6,001	99,99,99,99,99,999	7.00
0311	Property tax	1	6,000	0.00
0312	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0312	Property tax	1	4,800	0.00
0313	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0313	Property tax	1	4,800	0.00
0314	Property tax	1	4,800	0.00
0314	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0315	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0315	Property tax	1	4,800	0.00
0316	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0316	Property tax	1	4,800	0.00
0317	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0317	Property tax	1	4,800	0.00
0318	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0318	Property tax	1	4,800	0.00
0319	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0319	Property tax	1	4,800	0.00
0320	Property tax	15,001	99,99,99,99,99,999	15.00
0320	Property tax	12,001	15,000	12.00
0320	Property tax	9,001	12,000	12.00
0320	Property tax	6,001	9,000	8.00
0320	Property tax	4,801	6,000	8.00

0320	Property tax	1	4,800	0.00
0321	Property tax	6,001	99,99,99,99,99,999	7.00
0321	Property tax	1	6,000	0.00
0322	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0322	Property tax	1	4,800	0.00
0323	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	10.00
0323	Property tax	1	4,800	0.00
0324	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0324	Property tax	1	4,800	0.00
0325	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	9.25
0325	Property tax	1	4,800	0.00
0326	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0326	Property tax	1	4,800	0.00
0327	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0327	Property tax	1	4,800	0.00
0328	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0328	Property tax	4,801	15,000	6.00
0328	Property tax	15,001	20,000	8.00
0328	Property tax	1	4,800	0.00
0329	Property tax	6,001	30,000	6.00
0329	Property tax	30,001	60,000	7.00
0329	Property tax	60,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0329	Property tax	1	6,000	0.00
0330	Property tax	10,001	20,000	8.00
0330	Property tax	4,801	10,000	6.00
0330	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0330	Property tax	1	4,800	0.00
0331	Property tax	4,801	15,000	6.00
0331	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0331	Property tax	15,001	20,000	8.00
0331	Property tax	1	4,800	0.00
0332	Property tax	4,801	20,000	7.00
0332	Property tax	20,001	40,000	8.00
0332	Property tax	40,001	50,000	9.00
0332	Property tax	50,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0332	Property tax	1	4,800	0.00
0333	Property tax	4,801	20,000	6.00
0333	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0333	Property tax	1	4,800	0.00
0334	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.20
0334	Property tax	1	4,800	0.00
0335	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0335	Property tax	1	4,800	0.00
0336	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0336	Property tax	1	4,800	0.00
0337	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0337	Property tax	1	4,800	0.00
0338	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0338	Property tax	1	4,800	0.00
0339	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	10.00
0339	Property tax	1	4,800	0.00
0340	Property tax	6,001	99,99,99,99,99,999	6.00
0340	Property tax	1	6,000	0.00
0341	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0341	Property tax	1	4,800	0.00
0342	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00

0342	Property tax	1	4,800	0.00
0343	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0343	Property tax	1	4,800	0.00
0344	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0344	Property tax	1	4,800	0.00
0345	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0345	Property tax	1	4,800	0.00
0346	Property tax	1	4,800	0.00
0346	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0347	Property tax	15,001	18,000	10.00
0347	Property tax	18,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0347	Property tax	12,001	15,000	8.00
0347	Property tax	8,001	12,000	8.00
0347	Property tax	4,801	8,000	6.00
0347	Property tax	1	4,800	0.00
0348	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0348	Property tax	1	4,800	0.00
0349	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0349	Property tax	1	4,800	0.00
0350	Property tax	4,801	12,000	6.00
0350	Property tax	12,001	15,000	8.00
0350	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0350	Property tax	15,001	20,000	9.00
0350	Property tax	1	4,800	0.00
0351	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0351	Property tax	1	4,800	0.00
0352	Property tax	12,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0352	Property tax	6,001	8,000	6.00
0352	Property tax	8,001	12,000	8.00
0352	Property tax	1	6,000	0.00
0353	Property tax	4,801	12,000	6.00
0353	Property tax	12,001	18,000	8.00
0353	Property tax	18,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0353	Property tax	1	4,800	0.00
0354	Property tax	15,001	20,000	8.00
0354	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0354	Property tax	4,801	12,000	6.00
0354	Property tax	12,001	15,000	7.00
0354	Property tax	1	4,800	0.00
0355	Property tax	15,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0355	Property tax	12,001	15,000	7.00
0355	Property tax	4,801	12,000	6.00
0355	Property tax	1	4,800	0.00
0356	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0356	Property tax	15,001	20,000	9.00
0356	Property tax	12,001	15,000	8.00
0356	Property tax	4,801	12,000	6.00
0356	Property tax	1	4,800	0.00
0357	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0357	Property tax	15,001	20,000	8.00
0357	Property tax	4,801	15,000	6.00
0357	Property tax	1	4,800	0.00
0358	Property tax	15,001	20,000	8.00
0358	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0358	Property tax	4,801	15,000	6.00
0358	Property tax	1	4,800	0.00

0359	Property tax	4,801	12,000	6.00
0359	Property tax	12,001	15,000	8.00
0359	Property tax	15,001	20,000	9.00
0359	Property tax	20,001	99,99,99,99,999	10.00
0359	Property tax	1	4,800	0.00
0360	Property tax	12,001	18,000	6.50
0360	Property tax	18,001	99,99,99,99,999	7.00
0360	Property tax	4,801	12,000	6.00
0360	Property tax	1	4,800	0.00
0361	Property tax	20,000	99,99,99,99,999	10.00
0361	Property tax	15,001	20,000	10.00
0361	Property tax	8,001	15,000	8.00
0361	Property tax	4,801	8,000	6.00
0361	Property tax	1	4,800	0.00
0362	Property tax	4,801	12,000	6.00
0362	Property tax	12,001	18,000	8.00
0362	Property tax	18,001	99,99,99,99,999	10.00
0362	Property tax	1	4,800	0.00
0363	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	6.00
0363	Property tax	1	4,800	0.00
0364	Property tax	4,801	12,000	6.00
0364	Property tax	20,001	99,99,99,99,999	10.00
0364	Property tax	12,001	15,000	6.00
0364	Property tax	15,001	20,000	8.00
0364	Property tax	1	4,800	0.00
0365	Property tax	4,801	12,000	6.00
0365	Property tax	15,001	18,000	8.00
0365	Property tax	18,001	20,000	8.00
0365	Property tax	20,001	99,99,99,99,999	10.00
0365	Property tax	12,001	15,000	6.00
0365	Property tax	1	4,800	0.00
0366	Property tax	15,001	20,000	8.00
0366	Property tax	4,801	15,000	7.00
0366	Property tax	20,001	99,99,99,99,999	10.00
0366	Property tax	1	4,800	0.00
0367	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	6.00
0367	Property tax	1	4,800	0.00
0368	Property tax	4,801	12,000	6.00
0368	Property tax	12,001	20,000	7.00
0368	Property tax	20,001	99,99,99,99,999	8.00
0368	Property tax	1	4,800	6.00
0369	Property tax	12,001	20,000	7.00
0369	Property tax	4,801	12,000	6.00
0369	Property tax	20,001	99,99,99,99,999	8.00
0369	Property tax	1	4,800	0.00
0370	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	6.00
0370	Property tax	1	4,800	0.00
0371	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	6.00
0371	Property tax	1	4,800	0.00
0372	Property tax	15,001	20,000	7.00
0372	Property tax	20,001	99,99,99,99,999	8.00
0372	Property tax	4,801	15,000	6.00
0372	Property tax	1	4,800	0.00
0373	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	2.00
0373	Property tax	1	4,800	0.00
0374	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	6.00



0374	Property tax	1	4,800	0.00
0375	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0375	Property tax	1	4,800	0.00
0376	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0376	Property tax	1	4,800	0.00
0377	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0377	Property tax	1	4,800	0.00
0378	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0378	Property tax	1	4,800	0.00
0379	Property tax	10,001	20,000	7.00
0379	Property tax	4,801	10,000	6.00
0379	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0379	Property tax	1	4,800	0.00
0380	Property tax	1,00,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0380	Property tax	50,001	1,00,000	9.00
0380	Property tax	25,001	50,000	8.00
0380	Property tax	6,001	25,000	7.00
0380	Property tax	1	6,000	0.00
0381	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0381	Property tax	1	4,800	0.00
0382	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0382	Property tax	1	4,800	0.00
0383	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0383	Property tax	1	4,800	0.00
0384	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0384	Property tax	1	4,800	0.00
0385	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	10.00
0385	Property tax	1	4,800	0.00
0386	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0386	Property tax	1	4,800	0.00
0387	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0387	Property tax	1	4,800	0.00
0388	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0388	Property tax	1	4,800	0.00
0389	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0389	Property tax	1	4,800	0.00
0390	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0390	Property tax	1	4,800	0.00
0391	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0391	Property tax	1	4,800	0.00
0392	Property tax	30,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0392	Property tax	20,001	30,000	9.00
0392	Property tax	10,001	20,000	8.00
0392	Property tax	4,801	10,000	7.00
0392	Property tax	1	4,800	0.00
0393	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0393	Property tax	1	4,800	0.00
0394	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0394	Property tax	1	4,800	0.00
0395	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.50
0395	Property tax	1	4,800	0.00
0396	Property tax	6,001	15,000	7.00
0396	Property tax	15,001	25,000	8.00
0396	Property tax	25,001	30,000	9.00
0396	Property tax	30,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0396	Property tax	1	6,000	0.00

0398	Property tax	15,001	25,000	8.00
0398	Property tax	25,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0398	Property tax	4,801	15,000	6.00
0398	Property tax	1	4,800	0.00
0399	Property tax	1	4,800	0.00
0399	Property tax	40,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0399	Property tax	30,001	40,000	9.00
0399	Property tax	20,001	30,000	8.00
0399	Property tax	4,801	10,000	6.00
0399	Property tax	10,001	20,000	7.00
0400	Property tax	12,001	24,000	7.00
0400	Property tax	24,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0400	Property tax	4,801	12,000	6.00
0400	Property tax	1	4,800	0.00
0401	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.50
0401	Property tax	1	4,800	0.00
0402	Property tax	40,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0402	Property tax	30,001	40,000	9.00
0402	Property tax	20,001	30,000	8.00
0402	Property tax	15,001	20,000	7.00
0402	Property tax	10,001	15,000	7.00
0402	Property tax	4,801	10,000	6.00
0402	Property tax	1	4,800	0.00
0403	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0403	Property tax	1	4,800	0.00
0404	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0404	Property tax	1	4,800	0.00
0405	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0405	Property tax	1	4,800	0.00
0406	Property tax	4,801	15,000	6.00
0406	Property tax	15,001	20,000	8.00
0406	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0406	Property tax	1	4,800	0.00
0407	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0407	Property tax	10,001	20,000	7.00
0407	Property tax	4,801	10,000	6.00
0407	Property tax	1	4,800	0.00
0408	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0408	Property tax	1	4,800	0.00
0409	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0409	Property tax	1	4,800	0.00
0410	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0410	Property tax	1	4,800	0.00
0411	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0411	Property tax	1	4,800	0.00
0412	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0412	Property tax	1	4,800	0.00
0413	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0413	Property tax	1	4,800	0.00
0414	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0414	Property tax	1	4,800	0.00
0415	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0415	Property tax	1	4,800	0.00
0416	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0416	Property tax	1	4,800	0.00
0417	Property tax	6,001	12,000	7.00

0417	Property tax	4,801	6,000	6.00
0417	Property tax	18,001	99,99,99,99,999	10.00
0417	Property tax	1	4,800	0.00
0417	Property tax	12,001	18,000	9.00
0418	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	6.00
0418	Property tax	1	4,800	0.00
0419	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	6.00
0419	Property tax	1	4,800	0.00
0420	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	6.00
0420	Property tax	1	4,800	0.00
0421	Property tax	4,801	18,000	6.50
0421	Property tax	18,001	99,99,99,99,999	7.50
0421	Property tax	1	4,800	0.00
0422	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	6.00
0422	Property tax	1	4,800	0.00
0423	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	10.00
0423	Property tax	1	4,800	0.00
0424	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	6.00
0424	Property tax	1	4,800	0.00
0425	Property tax	18,001	99,99,99,99,999	10.00
0425	Property tax	15,001	18,000	9.00
0425	Property tax	4,801	8,000	6.00
0425	Property tax	8,001	10,000	7.00
0425	Property tax	12,001	15,000	9.00
0425	Property tax	10,001	12,000	9.00
0425	Property tax	1	4,800	0.00
0426	Property tax	4,801	10,000	6.00
0426	Property tax	15,001	99,99,99,99,999	10.00
0426	Property tax	10,001	15,000	8.00
0426	Property tax	1	4,800	0.00
0427	Property tax	25,001	99,99,99,99,999	10.00
0427	Property tax	15,001	25,000	8.00
0427	Property tax	6,001	15,000	6.00
0427	Property tax	1	6,000	0.00
0428	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	6.00
0428	Property tax	1	4,800	0.00
0429	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	6.00
0429	Property tax	1	4,800	0.00
0430	Property tax	50,001	99,99,99,99,999	10.00
0430	Property tax	20,001	50,000	8.00
0430	Property tax	10,001	20,000	6.00
0430	Property tax	4,801	10,000	6.00
0430	Property tax	1	4,800	0.00
0431	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	6.00
0431	Property tax	1	4,800	0.00
0432	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	6.00
0433	Property tax	4,801	99,99,99,99,999	8.00
0433	Property tax	1	4,800	0.00
0434	Property tax	12,001	99,99,99,99,999	10.00
0434	Property tax	10,001	12,000	8.00
0434	Property tax	4,801	10,000	6.00
0434	Property tax	1	4,800	0.00
0435	Property tax	12,001	99,99,99,99,999	10.00
0435	Property tax	4,801	6,000	6.00
0435	Property tax	6,001	12,000	8.00
0435	Property tax	1	4,800	0.00

0436	Property tax	15,001	20,000	8.00
0436	Property tax	6,001	15,000	6.00
0436	Property tax	25,001	30,000	10.00
0436	Property tax	30,001	40,000	10.00
0436	Property tax	40,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0436	Property tax	20,001	25,000	8.00
0436	Property tax	1	6,000	0.00
0437	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0437	Property tax	1	4,800	0.00
0438	Property tax	4,801	10,000	6.00
0438	Property tax	10,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0438	Property tax	1	4,800	0.00
0439	Property tax	1	99,99,99,99,99,999	6.00
0440	Property tax	24,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0440	Property tax	4,801	14,000	6.00
0440	Property tax	14,001	24,000	8.00
0440	Property tax	1	4,800	0.00
0441	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0441	Property tax	1	4,800	0.00
0442	Property tax	24,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0442	Property tax	14,001	24,000	8.00
0442	Property tax	4,801	14,000	6.00
0442	Property tax	1	4,800	0.00
0443	Property tax	35,001	45,000	8.00
0443	Property tax	30,001	35,000	7.00
0443	Property tax	25,001	30,000	7.00
0443	Property tax	20,001	25,000	6.00
0443	Property tax	4,801	20,000	6.00
0443	Property tax	45,001	55,000	9.00
0443	Property tax	55,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0443	Property tax	1	4,800	0.00
0444	Property tax	4,801	25,000	6.00
0444	Property tax	45,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0444	Property tax	25,001	35,000	7.00
0444	Property tax	35,001	45,000	9.00
0444	Property tax	1	4,800	0.00
0445	Property tax	40,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0445	Property tax	20,001	40,000	8.00
0445	Property tax	4,801	20,000	6.00
0445	Property tax	1	4,800	0.00
0446	Property tax	6,001	12,000	6.00
0446	Property tax	1	6,000	0.00
0446	Property tax	12,001	18,000	8.00
0446	Property tax	18,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0447	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	7.50
0447	Property tax	4,801	20,000	6.50
0447	Property tax	1	4,800	0.00
0448	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0448	Property tax	1	4,800	0.00
0449	Property tax	40,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0449	Property tax	4,801	40,000	7.00
0449	Property tax	1	4,800	0.00
0450	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0450	Property tax	1	4,800	0.00
0451	Property tax	4,801	15,000	6.00
0451	Property tax	40,001	99,99,99,99,99,999	10.00

0451	Property tax	15,001	40,000	8.00
0451	Property tax	1	4,800	0.00
0452	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0452	Property tax	1	4,800	0.00
0453	Property tax	40,001	99,99,99,99,99,999	7.00
0453	Property tax	4,801	40,000	6.00
0453	Property tax	1	4,800	0.00
0454	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.25
0454	Property tax	1	4,800	0.00
0455	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0455	Property tax	1	4,800	0.00
0456	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0456	Property tax	1	4,800	0.00
0457	Property tax	4,801	12,000	6.00
0457	Property tax	12,001	18,000	6.50
0457	Property tax	1	4,800	0.00
0457	Property tax	18,001	99,99,99,99,99,999	7.00
0458	Property tax	4,801	10,000	6.00
0458	Property tax	10,001	15,000	7.00
0458	Property tax	15,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0458	Property tax	1	4,800	0.00
0459	Property tax	4,801	8,400	6.00
0459	Property tax	8,401	12,000	7.00
0459	Property tax	18,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0459	Property tax	15,001	18,000	9.00
0459	Property tax	12,001	15,000	8.00
0459	Property tax	1	4,800	0.00
0460	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0460	Property tax	1	4,800	0.00
0461	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0461	Property tax	1	4,800	0.00
0462	Property tax	40,001	99,99,99,99,99,999	7.00
0462	Property tax	4,801	40,000	6.00
0462	Property tax	1	4,800	0.00
0463	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	8.00
0463	Property tax	1	4,800	0.00
0464	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0464	Property tax	1	4,800	0.00
0465	Property tax	50,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0465	Property tax	20,001	50,000	8.00
0465	Property tax	4,801	20,000	6.50
0465	Property tax	1	4,800	0.00
0466	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0466	Property tax	1	4,800	0.00
0467	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0467	Property tax	1	4,800	0.00
0468	Property tax	4,801	12,000	6.00
0468	Property tax	12,001	18,000	8.00
0468	Property tax	18,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0468	Property tax	1	4,800	0.00
0469	Property tax	6,001	99,99,99,99,99,999	6.00
0469	Property tax	1	6,000	0.00
0470	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0470	Property tax	1	4,800	0.00
0471	Property tax	20,001	25,000	10.00
0471	Property tax	15,001	20,000	8.00

0471	Property tax	10,001	15,000	7.00
0471	Property tax	4,801	10,000	6.00
0471	Property tax	25,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0471	Property tax	1	4,800	0.00
0472	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0472	Property tax	15,001	20,000	9.00
0472	Property tax	10,001	15,000	8.00
0472	Property tax	4,801	10,000	7.00
0472	Property tax	1	4,800	0.00
0473	Property tax	4,801	10,000	7.00
0473	Property tax	10,001	15,000	8.00
0473	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0473	Property tax	15,001	20,000	9.00
0473	Property tax	1	4,800	0.00
0474	Property tax	4,801	10,000	6.00
0474	Property tax	10,001	16,000	6.50
0474	Property tax	46,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0474	Property tax	40,001	46,000	9.00
0474	Property tax	34,001	40,000	8.50
0474	Property tax	28,001	34,000	8.00
0474	Property tax	22,001	28,000	7.50
0474	Property tax	1	4,800	0.00
0474	Property tax	16,001	22,000	7.00
0475	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0475	Property tax	1	4,800	0.00
0476	Property tax	4,801	20,000	6.00
0476	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0476	Property tax	1	4,800	0.00
0477	Property tax	4,801	12,000	6.00
0477	Property tax	12,001	18,000	8.00
0477	Property tax	18,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0477	Property tax	1	4,800	0.00
0478	Property tax	4,801	22,000	6.00
0478	Property tax	28,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0478	Property tax	22,001	28,000	8.00
0478	Property tax	1	4,800	0.00
0479	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0479	Property tax	15,001	20,000	8.00
0479	Property tax	4,801	15,000	6.00
0479	Property tax	1	4,800	0.00
0483	Property tax	1	4,800	0.00
0483	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0487	Property tax	1	4,800	0.00
0487	Property tax	30,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0487	Property tax	20,001	30,000	9.00
0487	Property tax	10,001	20,000	8.00
0487	Property tax	4,801	10,000	7.00
0491	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0491	Property tax	1	4,800	0.00
0493	Property tax	4,801	6,000	6.00
0493	Property tax	6,001	12,000	8.00
0493	Property tax	12,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0493	Property tax	1	4,800	0.00
0495	Property tax	1	4,800	0.00
0495	Property tax	4,801	12,000	6.00
0495	Property tax	12,001	24,000	8.00

0495	Property tax	24,001	99,99,99,99,99,999	33.00
0496	Property tax	4,801	12,000	6.00
0496	Property tax	12,001	20,000	8.00
0496	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0496	Property tax	1	4,800	0.00
0497	Property tax	4,801	12,000	8.00
0497	Property tax	12,001	20,000	9.00
0497	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	10.00
0497	Property tax	1	4,800	0.00
0499	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0499	Property tax	1	4,800	0.00
0500	Property tax	1	4,800	0.00
0500	Property tax	10,001	20,000	7.00
0500	Property tax	4,801	10,000	6.00
0500	Property tax	20,001	99,99,99,99,99,999	8.00
0502	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	7.00
0502	Property tax	1	4,800	0.00
0503	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0503	Property tax	1	4,800	0.00
0506	Property tax	1	4,800	0.00
0506	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0507	Property tax	4,801	99,99,99,99,99,999	6.00
0507	Property tax	1	4,800	0.00

## Fee details regarding Property Mutation-

### Namantaran Fee Details

S.NO	DIVISION	NAME OF ULB	NAMANTARAN SHULK
1	BHOPAL	AASHTA	half percent of current market value
2	BHOPAL	BABAI	Rs. 1500 plus Rs.100 application fees
3	BHOPAL	BETUL	Rs. 150 for 90days, 91-180 days Rs.300, 181 days -1 year Rs.500, 1 to 3 year Rs.1000 & after 3 years Rs. 1500
4	BHOPAL	BODA	Rs.2100
5	BHOPAL	GANJBASODA	Rs. 500- Rs. 1800
6	BHOPAL	HARDA	Rs. 60 plus late fees Rs.50
7	BHOPAL	SANCHI	Rs.5000
8	BHOPAL	SARANGPUR	Rs.2900 upto 90 days & penalty Rs. 2200 after 90 days
9	BHOPAL	SILWANI	Rs. 1 to Rs. 5 per square feet
10	BHOPAL	VIDISHA	Rs.110- 700
11	GWALIOR	ASHOKNAGAR	Rs.1282
12	GWALIOR	NAGAR NIGAM MORENA	Rs. 1030
13	INDORE	ANJAD	Rs.870 till 90 days. After 90 days Rs. 50 per year plus Rs. 200 late fees
14	INDORE	BADNAWAR	0.30 percent of current market value for heacrchial property/0.50 percent of current market value for land
15	INDORE	BADWAHA	Rs.1000 plus Rs. 300 per year delay after 03 months
16	INDORE	BHIKANGAON	Rs.2100
17	INDORE	SHAHPUR-BURHANPUR	Rs. 1000
18	INDORE	THANDLA	Rs.1000 and 0.5 percent of registered value
19	JABALPUR	AMARWADA	1 Year from registry Rs. 100 & after that per year Rs. 20 plus application fees Rs.20
20	JABALPUR	DAMUA	Rs.100 after death plus Rs.100 application fees & 2% of selling price
21	JABALPUR	SONSAR	Rs. 190 plus Rs. 13.94 per square feet
22	REWA	AMARPATAN	Rs.20
23	REWA	BIRSINGHPUR	Rs. 1000 plus Rs. 30 application form
24	REWA	CHAKGHAT	0.5 percent of registry amount, In Case of Death Rs. 500 & In mutual partition Rs. 750
25	REWA	CHITRAKOOT	
26	REWA	KOTHAR	Not Decided
27	REWA	MANGAVA	Rs. 1000
28	REWA	MEHER	Rs. 500-2000
29	REWA	NAGOD	Rs. 100-500
30	REWA	NEW RAMNAGAR	Rs. 500



<b>S.NO</b>	<b>DIVISION</b>	<b>NAME OF ULB</b>	<b>NAMANTARAN SHULK</b>
31	REWA	RAMPURBAGHELAN	Rs.5000
32	REWA	SIDHI	Rs.500- Rs. 5000
33	SAGAR	RAJNAGAR	Rs.1000
34	SAGAR	REHALI	Rs.965
35	UJJAIN	JEERAN	Rs.2000
36	UJJAIN	NALKHEDA	Rs. 400 till 90 days & after 90 days Rs. 300 penalty
37	UJJAIN	SHAJAPUR	Rs. 1350 till 90 days & after penalty Rs. 500
38	UJJAIN	SHYAMGARH	one percent of registered value +other charges

मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2-10/2019/सात/शा.7  
प्रति

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2020

जिला कलेक्टर (समस्त)  
मध्यप्रदेश।

**विषय: मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019के अंतर्गत मामले/मूल आवेदन की प्रस्तुति एवं फीस संबंधित दिशा निर्देश ।**

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के अधीन राजस्व न्यायालयों के समक्ष मामले/मूल आवेदन की प्रस्तुति एवं फीस संबंधित दिशा निर्देश निम्नानुसार प्रसारित किये जाते हैं:-

**1.मामले एवं मूल आवेदन से अभिप्रेत(नियम 2, 5)-**

(एक) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 2 के उप नियम (1) के खंड (क) में मामले को परिभाषित किया गया है-

(क) "मामले" से अभिप्रेत है संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन मामला या कार्यवाहियां;

(दो) उक्त नियमों के भाग-एक (मामले का पंजीयन) के नियम 5 में मूल आवेदन निम्नानुसार वर्णित है-

**मूल आवेदन-** इस भाग के प्रयोजन के लिये "मूल आवेदन" से अभिप्रेत है संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन किसी मूल कार्यवाही को प्रारम्भ करने के लिये आवेदन या याचिका।

**2.राजस्व न्यायालय के समक्ष मूल आवेदन प्रस्तुत करने के तरीके (नियम 7, 8, 9, 10, 11)-**

(एक) राजस्व न्यायालय के समक्ष व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाने वाला मूल आवेदन राजस्व न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किये गये अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(दो) राजस्व न्यायालय को मूल आवेदन डाक अथवा कोरियर सेवा द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(तीन) राजस्व न्यायालय को मूल आवेदन लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकेगा। लोक सेवा केन्द्र मूल आवेदन की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी तैयार करेगा, राजस्व न्यायालय के समक्ष पक्षकार को उपस्थित होने के लिये दिनांक, जो 15 दिवस के पश्चात् की नहीं होगी, नियत करेगा और ऐसा दिनांक दर्शाती हुई पावती के साथ मूल आवेदन पक्षकार को लौटाएगा।

लोक सेवा केन्द्र मूल आवेदन की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी अगले 24 घण्टों के भीतर राजस्व न्यायालय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजेगा।

(चार) राजस्व न्यायालय को मूल आवेदन रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

### 3. मूल आवेदन की पावती (नियम 12)-

(एक) मूल आवेदन व्यक्तिशः प्रस्तुत किये जाने पर पावती प्ररूप-एक में दी जाएगी।

(दो) मूल आवेदन डाक अथवा कोरियर सेवाओं द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर पावती प्ररूप-एक में डाक से भेजी जायेगी।

(तीन) लोक सेवा केन्द्र या रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त मूल आवेदन की पावती प्ररूप-दो में दी जाएगी।

### 4. राजस्व न्यायालय में मामले का पंजीयन (नियम 13)-

राजस्व न्यायालय के समक्ष प्राप्त प्रत्येक मूल आवेदन को यथाशीघ्र रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में मामले के रूप में पंजीकृत किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राजस्व न्यायालय भी स्वप्रेरणा से रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम में मामला दर्ज करने का आदेश दे सकता है।

### 5. मामले की फीस (नियम 121)-

(एक) मामले की फीस के अंतर्गत न्यायालय शुल्क तथा पक्षकारों तथा साक्षियों को सूचना या समन जारी करने के लिए आदेशिका फीस है। विधि एवं विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना दिनांक 12/02/2020 (संलग्न-1) द्वारा न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 की धारा 35 के अंतर्गत मध्यप्रदेश में किसी भी राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी या राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किए गये आवेदन, अपील, ज्ञापन या याचिका पर देय न्यायालय शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

(दो) मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-10/2019/सात/शाखा-7 दिनांक 24/07/2020 (संलग्न-2) अनुसार किसी राजस्व मामले के लिए आदेशिका फीस या प्रकरण फीस, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 के नियम 418(क) के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 नवम्बर, 2018 में प्रकाशित, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक A/3957 दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 के अनुसार होगी, जो वर्तमान में रुपये 100/- प्रति प्रकरण है तथा यह समय-समय पर उच्च न्यायालय की अधिसूचनाओं के अनुसार परिवर्तनीय होगी। आदेशिका फीस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से साईबर कोषालय में, न कि नकद, मुख्य शीर्ष 0029-00-800 अन्य प्राप्तियां 0019-राजस्व न्यायालय प्रकरण पंजीयन तथा आदेशिका के लिए फीस में संदत्त की जाएगी।

३

**6. मूल आवेदन के साथ मामले की आदेशिका फीस या प्रकरण फीस जमा करने की प्रक्रिया-**

**(क) आवेदक द्वारा मूल आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने पर-**

(एक) रेवेन्यू केस मैनेजमेंट पोर्टल के माध्यम से मूल आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर मामले की आदेशिका फीस या प्रकरण फीस राशि रुपये 100/- ऑनलाइन भुगतान की सुविधा आवेदक के पास होने पर ऑनलाइन शासकीय कोष में जमा की जा सकेगी।

(दो) लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत करने पर मामले की आदेशिका फीस या प्रकरण फीस राशि रुपये 100/- लोक सेवा केन्द्र में आवेदन शुल्क रुपये 40/- एवं ऑनलाइन भुगतान शुल्क रुपये 10/- इस प्रकार कुल राशि रुपये 150/- का भुगतान किया जाना होगा।

(तीन) ब्रिस्क पोर्टल पर बैंकों द्वारा ऑनलाइन आरआरसी जमा करने पर आदेशिका फीस या प्रकरण फीस रुपये 100/- साईबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा कर राजस्व न्यायालय को चालान की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी।

(चार) सम्पदा पोर्टल- राजस्व न्यायालय द्वारा सम्पदा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त आवेदन में पक्षकारों को न्यायालय में उपस्थित होने के सूचना पत्र के साथ ही यह भी सूचित किया जायेगा कि मामले की आदेशिका फीस या प्रकरण फीस रुपये 100 साइबर ट्रेजरी के माध्यम से जमा कर राजस्व न्यायालय को चालान की प्रति उपलब्ध कराई जाना सुनिश्चित करे।

**(ख) आवेदक द्वारा मूल आवेदन व्यक्तिशः, डाक अथवा कोरियर सेवा द्वारा या सम्पदा पोर्टल द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर-**

(एक) साईबर ट्रेजरी:- आवेदक के पास ऑनलाइन भुगतान की सुविधा होने पर शासकीय कोषालय की वेबसाइट [www.mptreasury.org](http://www.mptreasury.org) पर जाकर मामले की आदेशिका फीस या प्रकरण फीस रुपये 100 मुख्य शीर्ष 0029-00-800 अन्य प्राप्तियां 0019 में जमा की जा सकती है।

(दो) एमपी ऑनलाइन कियोस्क:- प्रदेश में स्थापित किसी भी एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदक द्वारा मामले की आदेशिका फीस या प्रकरण राशि रुपये 100/- मुख्य शीर्ष 0029-00-800 अन्य प्राप्तियां 0019 में जमा की जा सकती है। आदेशिका फीस या प्रकरण फीस के साथ पोर्टल शुल्क ट्रांजेक्शन रुपये 10/- कियोस्क संचालक को भुगतान किये जाने होंगे।

(तीन) लोक सेवा केन्द्र:- लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से मामले की आदेशिका फीस या प्रकरण फीस राशि रुपये 100/- मुख्य शीर्ष 0029-00-800 अन्य प्राप्तियां 0019 में जमा की जा सकती है। लोक सेवा केन्द्र ऑनलाइन भुगतान शुल्क रुपये 10/- पृथक से देय होगा, इस प्रकार कुल राशि रुपये 110/- का भुगतान किया जाना होगा।

उपरोक्त कंडिका 6 (क) एवं (ख) माध्यमों से आदेशिका फीस या प्रकरण फीस जमा होने पर जो रसीद संबंधित लोक सेवा केन्द्र/एमपी ऑनलाइन कियोस्क द्वारा प्रदत्त की जाएगी,




उसमें चालान पहचान संख्या (CIN) तथा साईबर कोषालय द्वारा प्रदत्त चालान संख्या दर्ज होगी। यह रसीद आवेदक को आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. लोक सेवा केन्द्र/एमपी ऑनलाइन कियोस्क के पोर्टल ट्रांजेक्शन शुल्क एवं प्रोसेस फीस की राशि विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग तथा लोक सेवा गारण्टी विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देश/ प्रावधान के अधीन होगी, जो वर्तमान में ऊपर उल्लिखित कंडिका 6 अनुसार है।

उपर्युक्तानुसार भविष्य में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 या किसी अधिनियमिति के अधीन राजस्व न्यायालयों द्वारा पंजीकृत किए जाने वाले मामलों में मात्र 100/- रुपये आदेशिका फीस या प्रकरण फीस ही एकमात्र फीस के रूप में देय होगी, अर्थात् न तो कोर्ट फीस स्टाम्प चस्पा किए जाने की कोई आवश्यकता होगी और न ही तलबाना आदि के लिए कोई पृथक शुल्क लिया जाएगा।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

(प्रमुख सचिव, राजस्व द्वारा अनुमोदित)



(डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व

विभाग

पृ0क्रमांक एफ 2-2/2019/सात/शा.7

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई, 2020

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख राजस्व आयुक्त, भोपाल।
  2. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
  3. सचिव, राजस्व मण्डल; मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
  4. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व

विभाग

**विषय:** मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019के अंतर्गत मामले/मूल आवेदन की प्रस्तुति एवं फीस संबंधित दिशा निर्देश ।

**प्ररूप-एक**

(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम 8 एवं 9)

(व्यक्तिश: या डाक द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन अथवा अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की याचिका की पावती)

**पावती**

दस्तावेज का प्रकार (मूल आवेदन अथवा अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए याचिका)	किसको किया गया	दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम	पक्षकारों के नाम	प्रस्तुति का ढंग (कृपया जो लागू है उसे चिन्हित करें)	प्राप्ति का दिनांक	मामले की सुनवाई के लिए नियत दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				व्यक्तिश: प्राप्त किया गया ( ) स्थान..... डाक/कुरियर सेवाओं से ( ) प्राप्त किया गया		

मुद्रा

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर, नाम तथा पदनाम

\*टीप: यदि दस्तावेज मुख्यालय से भिन्न किसी स्थान पर प्रस्तुत किया गया है, तो स्तंभ 5 में स्थान का उल्लेख किया जाएगा।

**प्ररूप-दो**

(मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम 10 एवं 11)

(लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत या रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत मूल आवेदन अथवा अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन की याचिका की पावती)

**पावती**

दस्तावेज का प्रकार (मूल आवेदन अथवा अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन के लिए याचिका)	किसको किया गया	दस्तावेज प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम	पक्षकारों के नाम	पावती क्रमांक तथा प्राप्ति का दिनांक	मामले की सुनवाई के लिए नियत दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

टीप:1. लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने की दशा में पावती पर उसके अधिकृत व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा अधिकारिक मुद्रा लगाई जाएगी।

2. रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पर ऑनलाइन प्रस्तुत किए जाने की दशा में पावती पर हस्ताक्षर के स्थान पर सिस्टम-जनित उपयुक्त पृष्ठांकन होगा।

34

// अधिसूचना //

संलग्नक-1

भोपाल, दिनांक 12.02.2020

फा.क्र. 1026/2020/21-ब(दो), न्यायालय शुल्क अधिनियम, 1870 (क्रमांक 7 सन् 1870) की धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में किसी भी राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी या राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये गये आवेदन, अपील ज्ञापन या याचिका पर देय न्यायालय शुल्क से छूट प्रदान करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

\* (गोपाल श्रीवास्तव)  
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग,

#### NOTIFICATION

F.No. 1026/2020/21-B(II), In exercise of the powers conferred by section 35 of the Court Fees Act, 1870 (No. 7 of 1870), the State Government, hereby, remits in whole of the State of Madhya Pradesh, the Court Fees payable on an application, memorandum of appeal or petition made to any Revenue Court or any Revenue Officer or Board of Revenue.

By order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh,

\* (Gopal Shrivastava)  
Secretary

Government of Madhya Pradesh,  
Law and Legislative Affairs Department

फा.क्र. 1026/2020/21-ब(दो),

भोपाल, दिनांक 12.02.2020

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर आपकी टीप दिनांक 28.01.2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उप नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) के आगामी अंक में अनिवार्य रूप से प्रकाशित करने का कष्ट करें।

\* (संतोष प्रसाद शुक्ल)  
अतिरिक्त सचिव,

12-2-20

मध्यप्रदेश शासन,  
राजस्व विभाग  
सचिवालय, राजस्व भवन, भोपाल  
अधिसूचना

संलग्नक-2

भोपाल, दिनांक 24-7-2020

क्रमांक एफ. 2-10/2019/सात/शाखा-7.

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 के अधीन विरचित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, किसी राजस्व मामले के लिए आदेशिका फीस या प्रकरण फीस, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 के नियम 418 (क) के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 नवम्बर, 2018 में प्रकाशित, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक A/3957 दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 के अनुसार होगी, जो वर्तमान में रूपए 100/- प्रति प्रकरण है तथा यह समय-समय पर उच्च न्यायालय की अधिसूचनाओं के अनुसार परिवर्तनीय होगी। आदेशिका फीस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आईबर कोषालय में, न कि नगद, मुख्य शीर्ष 0029-00-800 अन्य प्राप्तियां 0019- राजस्व न्यायालय प्रकरण पंजीयन तथा आदेशिका के लिए फीस में संदत्त की जायगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 24-7-2020

क्रमांक एफ-2-10/2019-सात-शा-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-10/2019-सात-शा-7, दिनांक 24-7-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग



GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH  
REVENUE DEPARTMENT  
MANTRALAYA, VALLABH BHAWAN, BHOPAL


**NOTIFICATION**

Bhopal, date.24.7., 2020

No. F-2-10/2019/VII/Sec.7-

In exercise of the powers conferred by Rule 121 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nyayalayon Ki Prakriya) Niyam, 2019 framed under Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the process fee or case fee for a Revenue Case shall be in accordance with the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur Notification No. A/3957 dated 30 October, 2018, published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 16<sup>th</sup> November, 2018 as per Rule 418 (A) of the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961 which at present is Rupees 100/- per case and it shall be alterable as per the notifications of the High Court from time to time. The process fee shall be paid in MAIN HEAD 0029-00-800 Other Receipts 0019- Fee for Revenue Court case registration and processing in cyber treasury by electronic means but not in cash.


By order and in the name of the  
Governor of Madhya Pradesh

  
(Dr. Srikant Pandey)  
Additional Secretary  
Govt. of Madhya Pradesh  
Revenue Department

पृ०कमांक एफ. 2-10/2019/सात/शा.7  
प्रतिलिपि:-

भोपाल दिनांक 24.7.2020

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
2. निज सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/मान. राज्य मंत्रीगण मध्यप्रदेश,
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल,
4. रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, जबलपुर, मध्यप्रदेश,
5. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
6. शासन के समस्त विभाग,
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश,
8. प्रमुख राजस्व आयुक्त कार्यालय, भोपाल, मध्यप्रदेश,
9. आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
10. सदस्य सचिव, राज्य भूमि सुधार आयोग,
11. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
12. समस्त विभागाध्यक्ष, मध्यप्रदेश,
13. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश,
14. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। कृपया सूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कर, प्रकाशन की 500 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
15. संचालक, सूचना एवं प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल की ओर प्रकाशनार्थ अग्रेषित।

  
अपर सचिव,  
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग.

मध्यप्रदेश शासन,  
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी - विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन

संलग्न-3  
pvo I (101)

क्रमांक एफ.5-4/2013/56

भोपाल, दिनांक 20-01-2015

प्रति,

आयुक्त,  
कोष एवं लेखा संचालनालय,  
मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषय:- एम.पी.ऑनलाइन कियोस्क तथा नागरिक सुविधा केन्द्रों के माध्यम से नागरिकों को ई-चालान द्वारा शासकीय कोष में शुल्क जमा करने बावत।

संदर्भ :- एम.पी.ऑनलाइन द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 4099, दिनांक 15/1/2015

कृपया एम.पी.ऑनलाइन से प्राप्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है। सुलभ संदर्भ हेतु संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है। राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार एम.पी. ऑनलाइन के प्रदेश में स्थापित कियोस्क एवं सीएससी के माध्यम से नागरिकों द्वारा शासन के विभिन्न विभागों में 10,000/- रुपये तक की राशि के चालानों का भुगतान ऑनलाइन किया जा सकेगा। उक्त ऑनलाइन प्राप्त राशि सीधे साइबर ट्रेजरी में जमा होगी। इस हेतु एमपी ऑनलाइन द्वारा साइबर ट्रेजरी के साथ इंटीग्रेशन प्रक्रिया तैयार कर ली गई है एवं विभाग के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा भी उक्त इंटीग्रेशन की टेस्टिंग कर ली गई है।

2/ दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 को ऑनलाइन सेवा शुल्क निर्धारण समिति की बैठक में उक्त सेवा हेतु पोर्टल शुल्क ट्रांजेक्शन 10/- रुपये लिये जाने का निर्णय लिया गया है। एम.पी. ऑन लाइन का प्रस्ताव उचित है।

3/ अतः अनुरोध है कि कृपया एम.पी.ऑनलाइन को उक्त प्रक्रिया को पोर्टल पर प्रारंभ करने के लिए अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि नागरिक इस सुविधा का लाभ ले सकें। कृपया की गई कार्यवाही से विभाग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।  
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।



( प्रसाद द्विवेदी )

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग


भोपाल, दिनांक 20-01-2015

अपर संचालक JKS.

k  
पृष्ठां. क्रमांक एफ.5-4/2013/56  
प्रतिलिपि :-


मुख्य परिचालन अधिकारी, एम.पी.ऑनलाइन, निरूपम शापिंग मॉल,  
अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।





sd/pp

23/1



अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

राजस्व विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 2-10-2019-सात-शाखा-7

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2020

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 के अधीन विरचित मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (राजस्व न्यायालयों की प्रक्रिया) नियम, 2019 के नियम 121 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, किसी राजस्व मामले के लिए आदेशिका फीस या प्रकरण फीस, मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय नियम, 1961 के नियम 418 (क) के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 18 नवम्बर, 2018 में प्रकाशित, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक A/3957 दिनांक 30 अक्टूबर, 2018 के अनुसार होगी, जो वर्तमान में रूपए 100/- प्रति प्रकरण है तथा यह समय-समय पर उच्च न्यायालय की अधिसूचनाओं के अनुसार परिवर्तनीय होगी। आदेशिका फीस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आईबर कोषालय में, न कि चणद, मुख्य शीर्ष 0029-00-800 अन्य प्राप्तियां 0019- राजस्व न्यायालय प्रकरण पंजीयत तथा आदेशिका के लिए फीस में सद्त की जायगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 जुलाई 2020

क्र. एफ-2-10-2019-सात-शा-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-10-2019-सात-शा-7, दिनांक 24 जुलाई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
श्रीकान्त पाण्डेय, अपर सचिव.

No. F-2-10-2019-VII-Sec-7


Bhopal, the 24th July 2020

In exercise of the powers conferred by Rule 121 of the Madhya Pradesh Bhu-Rajasva Sanhita (Rajasva Nyayalayaon Ki Prakriya) Niyam, 2019 framed under Section 258 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the process fee or case fee for a Revenue Case shall be in accordance with the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur Notification No. A/3957 dated 30 October, 2018, published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 16<sup>th</sup> November, 2018 as per Rule 418 (A) of the Madhya Pradesh Civil Courts Rules, 1961 which at present is Rupees 100/- per case and it shall be alterable as per the notifications of the High Court from time to time. The process fee shall be paid in MAIN HEAD 0029-00-800 Other Receipts 0019- Fee for Revenue Court case registration and processing in cyber treasury by electronic means but not in cash.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
SRIKANT PANDEY, Addl. Secy.

### 3. Commercial Tax (Excise) department

URL - <https://excise.mp.gov.in/license-fees>



आबकारी विभाग  
मध्य प्रदेश सरकार

Get Liquor Rates खोजें

लॉग इन

eAbkari

मुख्य पृष्ठ हमारे बारे में आय ताइसेंस की सूची वार्षिक रिपोर्ट्स नियम और अधिनियम कर्मचारी कर्तार सूचना का अधिकार इज ऑफ ड्रिग बिजनेस

## लाइसेंस शुल्क

मुख्य पृष्ठ » ताइसेंस शुल्क

### लाइसेंस शुल्क

वर्ष 2022-23 के लिए डिस्टिलरी, बॉटलिंग इकाइयों, ब्रुअरीज, विदेशी शराब के थोक लाइसेंस आदि के लाइसेंस शुल्क का विवरण

Sl.No.	Type of License	Location	License Fees
1	FL-2 (Restaurant Bar Licence)	Municipal Corporation Area of Indore, Bhopal, Jabalpur, and Gwalior	15,50,000
		Municipal Corporation Area of Ujjain, Sagar and Rewa	14,00,000
		Other Municipal Corporation area	12,00,000
		Other than above	10,00,000
		Restaurants run in ownership of m.p.tourism Department/Development corporation	As per location, 50 % of the Licence fee payable for the Private sector Restaurant

परिपत्र/पत्र/आदेश

- स्थानांतरण आदेश (उपायुक्त आबकारी)
- स्थानांतरण आदेश (सहायक आबकारी आयुक्त)
- डेटा एनालिटिक्स एंड कंट्रोल कमान्ड सेंटर संबंधी आदेश
- रेस्टिफाईड स्पिरिट / ई ड्रिग के परिवहन तथा निर्यात हेतु देय प्रतिभूति सम्बन्धी

और पढ़ें

+ नया दया है

DIARY / CALENDAR 2022

4. Department of Commercial Tax

URL - <https://mptax.mp.gov.in/mpvatweb/download/act/pdf/PT.pdf>

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिपत्रिका, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनागत डाक व्यवस्था की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

## मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 242]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—वैश्व 31, शक 1932

### विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 2219-141-इककीस-अ-(प्रा.)—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29 मार्च 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

### मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ९ सन् २०१०.

### मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०१०.

[ दिनांक २९ मार्च, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १ अप्रैल, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के एकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

- (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.
- (२) यह १ अप्रैल, २०१० से प्रवृत्त होगा.

संक्षिप्त नाम और  
प्रारंभ.

२. मध्यप्रदेश वृत्ति कर अधिनियम, १९९५ (क्रमांक १६ सन् १९९५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को धारा २ में, खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:-

धारा २ का संशोधन.

“(झ क) 'सेवा' से अभिप्रेत है किसी भी प्रकार की ऐसी सेवा, जो संभागी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके लिए धूल्यवान प्रतिफल प्राप्त किया गया हो या प्राप्त किया जा सकता हो.”

अनुसूची का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, अनुक्रमांक ९ और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

"९-क. सेवा प्रदाय में लगे हुए ऐसे व्यक्ति जिनकी कुल वार्षिक प्राप्तियां—

(क)	३,००,००० रुपये से अधिक नहीं है	कुछ नहीं
(ख)	३,००,००० रुपये से अधिक किन्तु ५,००,००० रुपये से अधिक नहीं है.	१००० रुपये
(ग)	५,००,००० रुपये से अधिक किन्तु ८,००,००० रुपये से अधिक नहीं है.	२००० रुपये
(घ)	८,००,००० रुपये से अधिक है	२५०० रुपये."

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 2220-141-इक्कीस-अ-(प्रा).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 9 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 9 of 2010.

THE MADHYA PRADESH VRITTI KAR (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 29th March, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 1st April, 2010.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhinyam, 1995.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Vritti Kar (Sanshodhan) Adhinyam, 2010.
- (2) It shall come into force from 1st April, 2010.

Amendment of Section 2.

2. In Section 2 of the Madhya Pradesh Vritti Kar Adhinyam, 1995 (No. 16 of 1995) (hereinafter referred to as the Principal Act), after clause (i), the following clause shall be inserted, namely :—

"(ia) "service" means service of any description which is made available to potential users for which valuable consideration is received or receivable;"

Amendment of Schedule.

3. In Schedule of the Principal Act, after serial number 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

"9A.	A person engaged in the supply of service whose annual gross receipts —	
(a)	does not exceed rupees 3,00,000	Nil
(b)	exceeds rupees 3,00,000 but does not exceed rupees 5,00,000.	Rupees 1000
(c)	exceeds rupees 5,00,000 but does not exceed rupees 8,00,000.	Rupees 2000
(d)	exceeds rupees 8,00,000	Rupees 2500".



5. MP Pollution Control Board

URL- <http://xgn.mp.nic.in/ViewDocs.aspx?File Path=XGNAMD17>

मध्य प्रदेश शासन  
पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन  
अधिसूचना

भोपाल दिनांक 17 जनवरी, 2022

क्रमांक 55/1027/2021/32-3 इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1090/1027/2021/32-3 दिनांक 31.12.2021 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

2/ जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 का 6) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये राज्य सरकार, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनुशंसा पश्चात्, एतद् द्वारा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण)(सम्मति)मध्य प्रदेश नियम 1975 में दिनांक 26/6/2018 एवं दिनांक 5/10/2018 में जारी अधिसूचना के नियम 4 के खण्ड (पांच) की सारणी एक एवं चार को निम्नानुसार संशोधन प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात:-

“उद्योगों/संस्थानों/इकाईयों इत्यादि के द्वारा जल सम्मति हेतु प्रस्तुत आवेदन प्रपत्र के साथ यथा निर्दिष्ट स्थापना/उत्पादन सम्मति शुल्क सम्यक रूप से जमा की जायेगी, जो दिनांक 1/1/2022 के उपरांत प्राप्त आवेदन पर मान्य होगा :-

क	कुल विनिधान रुपये करोड़ में	शुल्क
1	रुपये 1 करोड़ से कम विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.04 प्रतिशत अधिकतम शुल्क राशि रुपये 3000/-
2	रुपये 1 करोड़ एवं उससे अधिक किन्तु रुपये 10 करोड़ से कम विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.03 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रुपये 15000/-
3	रु. 10 करोड़ एवं उससे अधिक किन्तु रुपये 50 करोड़ से कम विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.02 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रुपये 50000/-
4	रुपये 50 करोड़ एवं उससे अधिक विनिधान राशि	कुल विनिधान राशि का 0.01 प्रतिशत अधिकतम शुल्क रुपये 50 लाख

जल एवं वायु सम्मति हेतु पृथक-पृथक देय होगा, अधिसूचना दिनांक 26/6/2018 के अन्य भाग पूर्ववत प्रभावशील रहेंगे ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम  
से तथा आदेशानुसार,

*Sujoy*  
( सुप्रिया चंडके )  
अवर सचिव,

म0प्र0 शासन, पर्यावरण विभाग

*LO*  
*4/10/2022*  
*4/10/2022*

मध्य प्रदेश शासन,  
पर्यावरण विभाग  
मंत्रालय, भोपाल

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 19 जनवरी, 2022

क्रमांक — 53 /1027/2021/32-3 इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1088/1027/2021/32-3 दिनांक 31.12.2021 को एतद्वारा निरस्त किया जाता है।


2. राज्य शासन द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के नियमों में प्रशासकीय शुल्क को संशोधित करते हुये म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उद्योग, संस्थान, इकाईयों को 1/1/2022 के उपरांत प्राप्त आवेदनों पर प्रशासकीय शुल्क निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

क्र.	नियम	पंजी/ अनु/ प्राधिकार	आवेदन प्रोसेसिंग चार्ज प्रतिवर्ष															
1	जीव चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2016	प्राधिकार	1. क्लीनिक, पेटोलॉजी लेब, ब्लड बैंक एवं अन्य नॉन बेडेड संस्थान, 10 बिस्तर तक के चिकित्सा संस्थान 1,000/- एकबार आजीवन 2. 10-25 बिस्तर तक के चिकित्सालय 1,000/- प्रतिवर्ष 3. 25 बिस्तर से अधिक के चिकित्सालय हेतु रुपये 1000/- प्रतिवर्ष एवं अतिरिक्त बिस्तर हेतु रुपये 100/- प्रतिवर्ष अतिरिक्त 4. पूर्व अनुसार (अधिसूचना दि. 26.6.2018 अनुसार) 5. पूर्व अनुसार (अधिसूचना दि. 26.6.2018 अनुसार)															
2	खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं सीमापार संचालन) नियम, 2016	पंजीयन/ अनुमति/ प्राधिकार	1 उत्पादक हेतु <table border="1"> <thead> <tr> <th>कम</th> <th>श्रेणी</th> <th>प्राधिकार प्रक्रिया प्रभार (पांच वर्ष हेतु)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1 करोड से कम सूक्ष्म उद्योग</td> <td>5000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1 करोड से अधिक किन्तु 10 करोड से कम लघु उद्योग</td> <td>10000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>10 करोड से अधिक किन्तु 50 करोड से कम मध्यम उद्योग</td> <td>20000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>50 करोड से अधिक बृहद उद्योग</td> <td>30000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2 पूर्व अनुसार (अधिसूचना दि. 26.6.2018 अनुसार) 3 पूर्व अनुसार (अधिसूचना दि. 26.6.2018 अनुसार) 4 पूर्व अनुसार (अधिसूचना दि. 26.6.2018 अनुसार)</p>	कम	श्रेणी	प्राधिकार प्रक्रिया प्रभार (पांच वर्ष हेतु)	1	1 करोड से कम सूक्ष्म उद्योग	5000	2	1 करोड से अधिक किन्तु 10 करोड से कम लघु उद्योग	10000	3	10 करोड से अधिक किन्तु 50 करोड से कम मध्यम उद्योग	20000	4	50 करोड से अधिक बृहद उद्योग	30000
कम	श्रेणी	प्राधिकार प्रक्रिया प्रभार (पांच वर्ष हेतु)																
1	1 करोड से कम सूक्ष्म उद्योग	5000																
2	1 करोड से अधिक किन्तु 10 करोड से कम लघु उद्योग	10000																
3	10 करोड से अधिक किन्तु 50 करोड से कम मध्यम उद्योग	20000																
4	50 करोड से अधिक बृहद उद्योग	30000																

LO  
upload  
Supra

## 6. Water Resources Department

URL- <http://www.mpwrd.gov.in/water-rates>



### Water Resources Department Madhya Pradesh

- Home
- Organization
- Employee-Info
- Establishment Orders
- Administrative Orders
- Minutes-Meetings
- HOD Orders
- RTI
- Data Room

MPWRD > Revenue Recovery > water rates

- » Water Rates
- » Water Rates- Gazette Notifications
- » Year Wise Achievement
- » Revenue Recovery Target
- » Monthly Progress Non Agr.
- » Monthly Progress Agr.

#### Water Rates


मध्यप्रदेश में सिंचाई संकर्मों से कृषि प्रयोजनों के लिये नल प्रदाय हेतु नल दर की अनुसूची ( प्रवाह एवं उदहन सिंचाई )


सं.क्र.	फसल का नाम	नल कर रूपरे प्रति हेक्टर
1	धान - खरीफ (प्रत्येक बार पानी)	85
2	हरी घास शाही फसलें -मूंगफली (खरीफ), ज्वार, मूग (खरीफ), सोयाबीन (खरीफ), तिल, तुअर, उड.द	50
3	कपास( प्रत्येक बार पानी)	70
4	धान - रबी( प्रत्येक बार पानी)	155
5	गेहूँ,	
	1. परैषा	125
	2. प्रत्येक बार अतिरिक्त पानी	75
6	चना ( प्रत्येक बार पानी)	75
7	धानिया,मूंगफली, (रबी),मूग (रबी) सरसों, कुचुम, तुअर,सोयाबीन, (रबी) तुअर,(रबी) (प्रत्येक बार पानी)	75

## 7. Panchayat and Rural Development

URL - [http://mppanchayatdarpan.gov.in/Public/Portal/KS/View\\_Document.aspx?id=NDM%3d](http://mppanchayatdarpan.gov.in/Public/Portal/KS/View_Document.aspx?id=NDM%3d)

पंचायत एवं ग्रामीण विकास पोर्टल 12 47 47 PM

 **पंचायत दर्पण**  
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्य प्रदेश

 **पंचायतराज संचालनालय**  
भोपाल, मध्यप्रदेश


Home | About | Messages | Schemes | Instructions | Acts/Rules | Achievements | Budget | Documents | Statistics | Trainings & Announcements

Document Details: Colonizer Act 24 Dec, 2014

Document Type:	Acts & Rules		
Title (In English) :	Colonizer Act 24 Dec, 2014	Title (In Hindi) :	कॉलोनाईजर एक्ट 24 दिसंबर, 2014
Remarks :	कॉलोनाईजर एक्ट 24 दिसंबर, 2014		
<a href="#">Download Attachment</a>		<a href="#">View Attachment</a>	


1 of 40

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



## Gram Panchayat wise details of Taxes/Levies :

2. <https://prd.mp.gov.in/OSR/Public/Reports/Basic Tax Details.aspx>

 स्वकराधान प्रबंधन प्रणाली  
http://www.prd.mp.gov.in/osr

Home Login

Home जल कर स्वच्छता कर प्रकाश कर संपत्ति कर रिपोर्ट

स्वकराधान प्रबंधन प्रणाली


कर अधिरोपण की मूलभूत जानकारी

जिला :- जनपद पंचायत :- ग्राम पंचायत :-

BHOPAL [ ] [ ] Search

Designed And Developed By National Informatics Centre , Madhya Pradesh

NIC

 स्वकराधान प्रबंधन प्रणाली  
http://www.prd.mp.gov.in/osr

Home Login

Home जल कर स्वच्छता कर प्रकाश कर संपत्ति कर रिपोर्ट

स्वकराधान प्रबंधन प्रणाली

कर अधिरोपण की मूलभूत जानकारी

जिला :- जनपद पंचायत :- ग्राम पंचायत :-

BHOPAL BERASIA Bairagarh Search

Export To excel

#	जिला	जनपद पंचायत	ग्राम पंचायत	अधिरोपित कर प्रकार	उपभोक्ता/ कनेक्शन प्रकार	लगू दर (रु. में)	अंतराल
1	BHOPAL	BERASIA	GRAM PANCHAYAT, BAIRAGARH	Sanitation tax	Resident Family	5.00	प्रतिमाह
2	BHOPAL	BERASIA	GRAM PANCHAYAT, BAIRAGARH	Water Tax	Resident Family	10.00	प्रतिमाह
3	BHOPAL	BERASIA	GRAM PANCHAYAT, BAIRAGARH	Property tax	-	पंचायत अधिनियम में वर्णित संपत्ति के मूल्य के मान से	वार्षिक

Designed And Developed By National Informatics Centre , Madhya Pradesh

NIC

8. Revenue Department

URL: <https://revenue.mp.gov.in/upload/files/122281633531.pdf>

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 2-12/2018/सात/शा 6-मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (2) के खण्ड (तीन) एवं (चार) के साथ पठित धारा 59 एवं 60 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-2-1-2012-सात-सेक्शन-6 दिनांक 11 जुलाई, 2014 में मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-चार दिनांक 11 जुलाई, 2014 में प्रकाशित हुई थी तथा इस विषय पर पूर्व में बनाए गए समस्त नियमों को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त संहिता की धारा 258 की उप-धारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित किए गए अनुसार पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

**नियम**

**भाग-क**

**सामान्य**

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ,-**

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-राजस्व का निर्धारण तथा पुनर्निर्धारण) नियम, 2018 है।
- (2) ये नियम मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2018 (क्रमांक 23 सन् 2018) के प्रभावशील होने के दिनांक से लागू होंगे, अर्थात् 25 सितम्बर 2018।

**2. परिभाषाएं,- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-**

- (क) "संहिता" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959);
- (ख) "प्ररूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्ररूप;
- (ग) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूचियां;

File No.CLR/1/7/0041/2018-Comp-CLR

**कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश**

क्रमांक 1306 /9-कम्प्यूटर/WebGIS/2019 ग्वालियर, दिनांक 05/09/2019  
,प्रति  
,कलेक्टर

जिला- गुना, बड़वानी, छतरपुर, सिंगरौली, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, शहडोल, सीधी, मंदसौर, रतलाम, देवास, धार, अनूपपुर, अशोकनगर, आगर-मालवा, श्योपुर, उमरिया, नीमच, निवाड़ी एवं कटनी (21 जिलें), मध्यप्रदेश।

**विषय- भू-अभिलेख की प्रतिलिपियों को WebGIS सॉफ्टवेयर से लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से समारोह पूर्वक प्रारंभ करने बावत।**

विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले में NIC सॉफ्टवेयर से अंतिम बार 31 अगस्त तक का डाटा, भू-अभिलेख की वेबसाईट (landrecords.mp.gov.in) पर अपलोड किया जा चुका है। आपके जिले में NIC सॉफ्टवेयर में जून 2018 से किए गए अभिलेख सुधार कार्य के Incremental Data को WebGIS सर्वर में अपलोड करने का कार्य प्रगति पर है। जिले में दिनांक 11/09/2019 से WebGIS सॉफ्टवेयर लागू कर, विभिन्न सेवा केन्द्रों (LSK, IT Center तथा Online आदि) से नागरिकों को भू-अभिलेख की प्रतिलिपियां प्रदाय का कार्य समारोह पूर्वक प्रारंभ करें।

1. दिनांक 11/09/2019 को आपके जिले के समस्त लोक सेवा केन्द्र से जनप्रतिनिधि के हस्ते डिजिटली हस्ताक्षरित भू-अभिलेख की प्रतिलिपियां (बंधक दर्ज खसरा, व्यपवर्तन प्रमाणपत्र) भूमिस्वामी को स्थानीय इलेक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया की उपस्थिति में प्रदाय कर शासन द्वारा प्रारंभ की गई इस सेवा की जानकारी आमजन को दें।
2. इसी कार्यक्रम में भू-अभिलेख पोर्टल से अपने घर बैठकर भी भू-अभिलेख ऑनलाईन प्रक्रिया से प्रतिलिपियां प्राप्त करने की जानकारी आमजन को दें। जिससे अनावश्यक, लोकसेवा केन्द्र में भू-अभिलेख की प्रतिलिपियां प्राप्त करने हेतु लंबी कतारें न लगे। इस हेतु प्रचार का नमूना संलग्न कर, इस पत्र के साथ भेजा जा रहा है।
3. शासन ने दिनांक 01 अगस्त 2019 से प्रतिलिपि प्रदाय की दरों को सरलीकृत किया है। नई दरों को स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है। इस समारोह में नई दरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें।

म.प्र. राजपत्र, दिनांक 19 जुलाई 2019 के अनुसार, नागरिकों को निम्नलिखित अद्यतित दर पर (कंडिका-1) भू-अभिलेख की प्रतिलिपियां प्राप्त की जा सकती है, निर्धारित दरों की सूची निम्नानुसार है-

कंडिका-1

(दर रु. में)

क्रमांक	अभिलेखों का वितरण	प्रथम पृष्ठ के लिए फीस	प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए फीस
1	एक साला/पाँच साला खसरा या खाता जमाबंदी, अधिकार अभिलेख, खेवट के लिए	30.00	15.00
2	बजिब-उल-अर्ज, निस्तार पत्रक के लिए	30.00	15.00
3	ए-4 आकार में नक्शे की प्रति के लिए	30.00	15.00

4. कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं नकल वितरण केन्द्रों में संशोधित दर का प्रचार-प्रसार नमूना फ्लेक्स चस्पा करें, जिससे की भू-धारकों के हित में शासन द्वारा लिए गए निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार हो सकें।

5. खसरों में बंधक दर्ज करने हेतु WebGIS सॉफ्टवेयर में लॉगिन समस्त बैंकों को दिए गए हैं। इस हेतु भूमि-स्वामी को तहसील कार्यालय में आकर बंधक दर्ज करने हेतु आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। इसकी जनजागृति इस समारोह में करें।

6. नामांतरण /बटवारा / बंधक के आदेश को खसरे में अमल कर भूमि-स्वामी को अविलंब प्रदाय किया जा सकता है तथा व्यववर्तन की सूचना, राजस्व भुगतान हेतु जनजागृति इस समारोह में करें।

समारोह के 01 दिन पूर्व WebGIS सॉफ्टवेयर में समस्त प्रकार के संशोधन सैम्पल के तौर पर पृविष्टि कर Test Run करें। पूर्ण संतुष्टि के उपरांत समारोह में भू-अभिलेख की प्रतियों को प्रदाय करें। सॉफ्टवेयर के Test Run के दौरान WebGIS एवं LSK, Integration या अन्य कोई समस्या हो तो आपके जिले में प्रशिक्षित JDEO/DEO को या राज्य स्तर पर श्री दिगपाल सिंह कुशवाह(मो. न. 7898682418) या श्री रुपेश सिंघई(मो. न. 7000947321) से संपर्क किया जा सकता है।

संलग्न- प्रचार का नमूना

Signature valid  
Digitally signed by DNYA KESHWAR B PATIL  
Date: 2019.09.05 16:30:00 IST  
Reason: Approved

**आयुक्त**  
**भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त**  
**मध्यप्रदेश**

1306  
पृ.क्र. /9-कम्प्यूटर/WebGIS/2019

ग्वालियर, दिनांक 05/09/2019

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
  2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
  3. संभागीय कमिश्नर, संभाग समस्त की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- अधीक्षक, भू-अभिलेख जिला- गुना, बड़वानी, छतरपुर, सिंगरौली, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, 4



**File No.CLR/1/7/0041/2018-Comp-CLR**

शहडोल, सीधी, मंदसौर, रतलाम, देवास, धार, अनूपपुर, अशोकनगर, आगर-मालवा, श्योपुर, उमरिया, नीमच, निवाड़ी एवं कटनी (21 जिलें) मध्यप्रदेश, समारोह की आवश्यक कार्यवाही कर, आयोजित समारोह के स्थानीय मीडिया में हुए Coverage एवं Foot Fall की रिपोर्ट CLR कार्यालय में १५ सेप्टेम्बर तक प्रस्तुत करें।

5. श्री रूपेश सिंघई (तहसीलदार) म.प्र. भू-प्रबंधन समिति, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. सुश्री शिखा टिग्गा / श्री योगेन्द्र वर्मा, TPA, Web GIS Project, PRC Office, Ground Floor, Arera Hills, Bhopal MP-462027 की ओर सूचनार्थ।
7. M/s Bhopal E-Governance Ltd, ए-2, गुरु गोविन्द नारायण कॉलोनी, गौरी गृह निर्माण सोसायटी, चूना भट्टी, भोपाल, की सूचनार्थ कर लेख है कि आप अपने अधीनस्थ नकल सेन्टरों पर म.प्र. राजपत्र दिनांक 19 जुलाई 2019 अनुसार अद्यतित दरों को चस्पा करें, ताकि नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
8. M/s Terracis Technologies Ltd. (Formerly known as IL&FS Technologies Limited), 3rd Floor, Corporate Tower Ambience Island, Gurgaon 122001 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। Email: info@ilfstechologies.com

**आयुक्त**  
**भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त**  
**मध्यप्रदेश**

Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil, CLR(DBP), COMMISSIONER LAND RECORD  
Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil  
COLLECTOR  
COMMISSIONER LAND RECORD  
COMMISSIONER  
dbpatil@nic.in  
05/09/2019



मध्यप्रदेश शासन  
राजस्व विभाग



## निःशुल्क आवेदन कर नवीन दर पर नकल प्राप्त करें

भू-अभिलेख प्रतिलिपि हेतु लागू नवीन दरें।			(दरें रुपये में)
क्र	अभिलेखों का विवरण	प्रथम पृष्ठ	प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ
1	खसरा की प्रतिलिपि	30.00	15.00
2	बी-1 की प्रतिलिपि	30.00	15.00
3	नक्शा की प्रतिलिपि	30.00	15.00
4	खाताबार खसरा की प्रतिलिपि	30.00	15.00

नागरिक, भू-अभिलेख की डिजिटल हस्ताक्षरित प्रतिलिपि वेबसाइट <https://mpbhulekh.gov.in> से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं-

- नागरिक स्वयं को <https://mpbhulekh.gov.in> पर यूजर के तौर रजिस्टर करें।
- सेवा शुल्क का भुगतान ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/ नेट बैंकिंग/ UPI द्वारा करें।
- 30 मिनट पश्चात् डिजिटल हस्ताक्षरित भू-अभिलेख प्रतिलिपि प्राप्त करें।

आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्यप्रदेश

## 9. Registrar firms and societies

URL: <http://www.registrarfirms.mp.gov.in/fees.htm>



Government of Madhya Pradesh  
Registrar, Firms and Societies, M.P.



मध्यप्रदेश शासन  
रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, म०प्र०

Website of Registrar, Firms and Societies, M.P.

NIC Madhya Pradesh OnlineRegistration RTI

SITE SECTIONफीसHome

सामान्य जानकारी

मुख्य धाराएँ

अधिनियम

लोक सेवा गारंटी

सारांश

विभाग के दायित्व

सम्पर्क

सोसायटी

फर्म

RTI

मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रार अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत लगने वाला शुल्क-

अनुसूची  
(निचम 4 देखिए)  
फीस

(1)	धारा 7 के अधीन सोसायटी का रजिस्ट्रार	सामान्य रूपये 5,000/- तत्काल रूपये 8,000/-
(2)	धारा 7 के अधीन महिला मण्डल युवक मण्डल का रजिस्ट्रार	सामान्य रूपये 2,000/- तत्काल रूपये 3,000/-
(3)	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अधिसूचित अवैध कालोनियों के रहवासियों द्वारा गठित समितियों का रजिस्ट्रार (एह प्रावधान अधिसूचना तारीख से 03 वर्ष के लिये लागू रहेंगे)	वित्तोपित
(4)	धारा 10 के अधीन प्रत्येक संशोधन	रूपये 2,000/-
(5)	धारा 21 की उपधारा (3) के अधीन- (क) उपधारा (1) के अधीन आवेदन (एक) क्रय की अनुज्ञा के लिए 5 लाख तक	रूपये 10,000/- रूपये 20,000/-

**10. Energy Department**

**URL:** <http://energy.mp.gov.in/sites/default/files/T%200%202022-23.pdf#page=286&zoom=100,68,106>

**Annexure-3 (Tariff Schedules for High Tension Consumers)**

**ANNEXURE TO THE TARIFF ORDER PASSED BY MPERC FOR  
FINANCIAL YEAR 2022-23**

**MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**

**Table of Contents**

Tariff Schedule - HV - 1 .....	287
Tariff Schedule - HV - 2 .....	290
Tariff Schedule - HV - 3 .....	291
Tariff Schedule - HV - 4 .....	298
Tariff Schedule - HV - 5 .....	300
Tariff Schedule - HV - 6 .....	302
Tariff Schedule - HV - 7 .....	304
Tariff Schedule - HV - 8 .....	305
General Terms and Conditions of High-Tension Tariff.....	306

## 11. Food and Drugs Administration Department


URL: [https://fdamp.mponline.gov.in/Quick%20Links/FDAImages/Docs/Fee\\_structure.pdf](https://fdamp.mponline.gov.in/Quick%20Links/FDAImages/Docs/Fee_structure.pdf)

### औषधि विक्रय अनुज्ञापितियों से संबंधित आवेदन शुल्क

अ. क्र.	आवेदन हेतु प्रपत्र	अनुज्ञापित धारी को प्रदत्त अनुज्ञापित फार्म क्र.	विक्रेता का प्रकार	नियमावली की अनुसूची अनुसार औषधि की श्रेणी	आवश्यक शुल्क	पात्रता हेतु औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियम	विलंब शुल्क प्रति माह (वैधता दिनांक से 6 माह के भीतर )
1	19	20	खेरची	सी, सी(1) एवं एक्स के अलावा	1500/-	64 एवं 65	लायसेंस शुल्क का 2 प्रतिशत प्रति माह
2	19	21	खेरची	सी, सी(1) परंतु एक्स के अलावा	1500/-	64 एवं 65	
3	19	20 बी	थोक	सी, सी(1) एवं एक्स के अलावा	1500/-	64 एवं 65	
4	19	21 बी	थोक	सी, सी(1) परंतु एक्स के अलावा	1500/-	64 एवं 65	
5	19 ए	20 ए	सीमित खेरची	सी, सी(1) एवं एक्स के अलावा	500/-	62 बी	
6	19 ए	21 ए	सीमित खेरची	सी (1) परंतु एक्स के अलावा	500/-	62 बी	
7	19 सी	20 एफ	खेरची	शेड्यूल एक्स की दवायें	500/-	64 एवं 65	
8	19 सी	20 जी	थोक	शेड्यूल एक्स की दवायें	500/-	64 एवं 65	

## 12. Labour Department


URL: <http://shramsewa.mp.gov.in/labour-commissioner/en-us/Media-Coverage-RTI/Citizen-Charter-Copy>



# Shram Sewa Portal

Labour Department, Govt. Of Madhya Pradesh : Labour Commissioner Organization

Search...



सत्यमेव जयते

HOME ABOUT US ▼ ROLE ▼ MEDIA COVERAGE, RTI ▼ CONTACT US

Home » Media Coverage, RTI » Citizen Charter - Copy

### CITIZEN CHARTER - COPY

मध्यप्रदेश दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान एवं वाणिज्यिक स्थापनाओं का नवीन पंजीयन शुल्क संरचना

पंजीयन शुल्क		समझौता शुल्क		
क्र.	नियोजित कर्मचारियों की संख्या	पंजीयन शुल्क	नियोजित कर्मचारियों की संख्या	समझौता शुल्क, नियत अवधि के पश्चात् आवेदन प्रस्तुत किया हो (30 दिवस के पश्चात्)
1	1 से 3	रूपये 200	0	रूपये 100
2	3 से अधिक	रूपये 250	1 से 3	रूपये 150
			3 से अधिक तथा 10 से कम	रूपये 200
			10 से अधिक	रूपये 500







विलम्ब तथा समझौता शुल्क गणना:

### WHAT'S NEW

Latest News / News/Press Release are not available!!!

View All Archives

### OTHER



13. Transport Department

URL: [http://mptransport.org/TCOFF/OtherDocs/Fees\\_2016.pdf](http://mptransport.org/TCOFF/OtherDocs/Fees_2016.pdf)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 894]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 29, 2016/पौष 8, 1938

No. 894]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 29, 2016/PAUSA 8, 1938

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2016

**सा.का.नि. 1183(ब).**—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम जिसे भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 744(अ) तारीख 28 जुलाई, 2016 द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रारूप नियमों से युक्त उक्त अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं, तीस दिन की अवधि के समाप्ति से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए प्रकाशित किए गए थे;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 28 जुलाई, 2016 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों की बाबत जनता से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (22वाँ संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 में,—

(i) नियम 9 में, उपनियम (2) में "नियम 32 की सारणी की क्रम संख्या 8 में यथानिर्दिष्ट" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "नियम 32 की सारणी में यथानिर्दिष्ट" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) नियम 14 के उपनियम (1) में खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) यथास्थिति, परीक्षण या पश्चातवर्ती परीक्षण नियम 32 में प्रत्येक वर्ग को चलाने के लिए और अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए यथाविनिर्दिष्ट समुचित फीस;"

(iii) नियम 32 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

"32. फीस:- वह फीस जो इस अध्याय के उपबंधों के अधीन प्रभारित की जाएगी, नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट की जाएगी:

परंतु राज्य परीक्षण संचालन के लिए उपयोग किए गए स्वचलन और प्रौद्योगिकी की अतिरिक्त लागत को पूरा करने के लिए या मूल्यवर्धित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त रकम का उद्ग्रहण कर सकेंगे।

**सारणी**

क्रम संख्या	प्रयोजन	रकम	नियम	धारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	प्रत्येक वर्ग के यान के लिए प्ररूप 3 में नौसिखिया चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के संबंध में	एक सौ पचास रुपये	10	8
2.	यथास्थिति, नौसिखिया शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति परीक्षण फीस या परीक्षण की पुनरावृत्ति फीस	पचास रुपये		27 (थ)
3.	चलाने की क्षमता के लिए, यथास्थिति, परीक्षण या परीक्षण की पुनरावृत्ति के लिए (प्रत्येक वर्ग के यान को)	तीन सौ रुपये	14(1) (ख)	9
4.	चालन अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए	दो सौ रुपये	14(1) (ख)	9
5.	अंतरराष्ट्रीय चालन अनुज्ञा-पत्र जारी करने के लिए	एक हजार रुपये	14(2) (ख)	9
6.	चालन अनुज्ञप्ति में यानों के अन्य वर्ग को जोड़ने के लिए	पाँच सौ रुपये	17(2) (घ)	11
7.	परिसंकटमय मालों के संबहन के यान के पृष्ठांकन या प्राधिकरण के नवीकरण के लिए	एक सौ रुपये	9	27 (थ)
8.	चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए	दो सौ रुपये	18(1)(क)	15
9.	ऐसी चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए जिसके लिए आवेदन अनुग्रह अवधि के पश्चात् किया गया है	तीन सौ रुपये। <b>टिप्पणः</b> प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए जिसकी गणना अनुग्रह अवधि की समाप्ति की तारीख से की जाएगी एक हजार रुपये की दर से अतिरिक्त फीस		15
10.	चालन में अनुदेश प्रदान करने वाले स्कूल या प्रतिस्थापन को अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका नवीकरण करने के लिए	दस हजार रुपये	24 (2)	12
11.	चालन में अनुदेश प्रदान करने वाले स्कूल या प्रतिस्थापन को अनुलिपि अनुज्ञप्ति जारी करने या उसका नवीकरण करने के लिए	पाँच हजार रुपये	26 (2)	12